आदेश पत्रक

14

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :बरेली,जनपद :शाहजहापुर,तहसील :पुवायाँ
वाद संख्या :-00978/2018
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T2018126102009 78
गुरू तेग बहादुर पैरामेडिकल इन्स्टीयूट द्वारा प्रबन्धक सुलक्खन सिंह बनाम सरकार
अतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर पुवायाँ शाहजहाँपुर

वाद सं0

अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता वर्ष 2006
ग्राम बग्घा परगना व तहसील पुवायाँ

गुरू तेग बहादुर पैरामेडिकल इन्स्टीयूट द्वारा प्रबन्धक सुलक्खन सिंह बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी सरदार बचन सिंह एजूकेशन सोसाइटी ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग परगना व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर द्वारा तेग बहादुर पैरामेडिकल इन्स्टीयूट पुवायाँ रोड बग्घा द्वारा प्रबन्धक सुलक्खन सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग परगना व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर द्वारा धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्रार्थना पत्र पर वाद पोषित हुआ। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम बग्घा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 है0 में से 0.405 है0 को अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने की याचना की गयी है तिकमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार पुवायाँ से रीपोर्ट मंगाई गयी।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार पुवायाँ ने अपनी जाँच आख्या दिनांक–16.02.2018 न्यायालय में उपलब्ध कराई तहसीलदार पुवायाँ की आख्या में अंकित किया है कि ग्राम बग्घा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 है0 में से 0.405 है0 में चाउन्दी तथा पैरा मेडिकल इन्स्टीयूट का निर्माण कार्य चल रहा है इस कारण भूमि को अन्तर्गत अकृष्क घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी। सहखातेदार द्वारा वादी के पक्ष में शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिसमें उल्लिखित किया गया है कि वह वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार है और वादी के पक्ष में में समर्थन प्रस्तुत कर रहे है। वादग्रस्त भूमि को अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नही होगी। वादी द्वारा अपने साक्ष्य में पैरा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया का पत्र सं0 102/3/018 दिनांक–19.06.2018 दाखिल किया गया है। निर्धारित समय दिये जाने के उपरान्त अन्य किसी की ओर से कोई आपत्ति नही आयी। वर्तमान में वाद निर्विवाद है। वादी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से जारी वार्षिक मूल्यांकन सूची दिनांक–01.06.2017 के आधार पर 1 प्रतिशत अंकन 14,569/– चालान सं0 25 दिनांक–23.02.2018 को भारतीय स्टेट बैंक कृषि शाखा पुवायाँ में जमा किया जा चुका है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया एवं पत्रावली पर दर्शित शासकीय अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम बग्घा स्थित भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 है0 जो सरदार बचन सिंह एजूकेशन सोसाइटी ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग परगना व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर द्वारा तेग बहादुर पैरामेडिकल इन्स्टीयूट पुवायाँ रोड बग्घा द्वारा प्रबन्धक सुलक्खन सिंह पुत्र जोगा सिंह निवासी ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग परगना व तहसील पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है जिसमें ग्राम बग्घा की गाटा सं0 850 रकबा 0.930 है0 में से 0.405 है0 पर चाउन्दी तथा पैरा मेडिकल इन्स्टीयूट का निर्माण कार्य चल रहा है। वादी द्वारा भूमि को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना एवं तहसीलदार पुवायाँ की आख्या दिनांक–16.02.2018 के आधार पर निम्न आदेश दिया जाता है कि:–

आदेश

अतः न्यायोचित में ग्राम निबग्घा भूमि गाटा सं0 850 रकबा 0.930 है0 में से 0.405 है0 को धारा 80 राजस्व संहिता 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत अकृष्क एवं लगान मुक्त घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार पुवायाँ को भू अभिलेखों में अमल दरामद हेतु प्रेषित की जाये तथा एक प्रति सब रजिस्ट्रार पुवायाँ को भंजीकरण हेतु प्रेषित की जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 23.5.18

असिस्टेंट कलेक्टर
पुवायाँ शाहजहाँपुर

24-5-18